आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित

न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू (राँची)।

U/S 15 OF THE BIHAR TENANT'S HOLDINGS (MAINTENANCE OF RECORDS) ACT, 1973

दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–13/2018–19

1. शत्रुघ्न सेठ, पे०–खुदीराम सेठ,
सा०–तमाड़, टोला–मांझीडीह, पो०–तमाड़,
थाना–तमाड़, जिला–राँची।.....अपीलार्थी।

बनाम

1. अंचल अधिकारी, तमाड.
2. मोहन सेठ, पे०–स्व० राधानाथ सेठ,
3. मो० तिलक, पति–स्व० सोहन सेठ, दोनों
पे०–सा०–तमाड़ पो०–तमाड़, जिला–राँची।.....विपक्षी।

आदेश

21.10.2020

प्रस्तुत वाद में अपीलार्थी ने अंचलाधिकारी, तमाड़ के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०–109 R27/2017-18 में दिनांक–13/12/2017 को पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील दायर किया है। जिसके द्वारा निम्नलिखित भूमि का नामांतरण अस्वीकृत किया गया।

भूमि विवरणी

मौजा	थाना	थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा
तमाड़	तमाड़	241	191	3317	18.5 डिसमील

चौहदी एक टुकड़ा
उ०–मोसमात सुकरू,
द०–नाला,
पू०–मोसमात सुकरू,
प०–हाड़ो मुण्डा।

चौहदी एक टुकड़ा
उ०–हाडो मुण्डा,
द०–नाला,
पू०–करमा सेठ,
प०–मो० सुकरू।

अपीलार्थी की ओर से दायर अपील आवेदन पर सुनवाई हेतु इस अपील वाद को ग्रहण किया गया। अपीलार्थी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता के कथनानुसार–अपीलकर्त्ता ने उपरोक्त भूमि को विपक्षी क्रमांक–02 एवं 03 से निबंधित विक्रय पत्र द्वारा दिनांक–01/07/2009 को क्रय किया है, जिसका डीड नं०–12134/066 है। उक्त भूमि पर अपीलकर्त्ता दखलकार है। अंचल अधिकारी, तमाड़ के द्वारा उक्त भूमि के नामांतरण वाद को इस वजह से अस्वीकृत कर दिया गया कि आवेदित भूमि के विक्रेता धोबी जाति का है जो अनु०जा० के अन्तर्गत आते हैं।

सुनवाई के दौरान विद्वान अधिवक्ता कहते हैं कि वर्ष 2012 के पूर्व भूमि अन्तरण हेतु उपायुक्त की अनुमति लेना आवश्यक नहीं था, जिस कारण से अपीलकर्त्ता ने भूमि अन्तरण पूर्व उपायुक्त से अनुमति नहीं लिया और निबंधित विक्रय पत्र द्वारा उपरोक्त भूमि को क्रय किया और भूमि पर दखलकार है। अतः इसी आधार पर यह अपील स्वीकृत किया जाए एवं अंचल अधिकारी, तमाड़ को उक्त भूमि का दाखिल खारिज करने का आदेश देने की कृपा की जाए।

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित
21.10.2020	अपीलार्थी द्वारा इस वाद में समर्पित निम्न न्यायालय के नामांतरण मुकदमा सं०–109 R27/2017-18 का अस्वीकृति की सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति का अवलोकन किया गया। जिसमें राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के मंतव्यानुसार आवेदित भूमि के क्रेता–विक्रेता दोनों जाति धोबी के सदस्य हैं जो अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आता है एवं C.N.T. Act अंतर्गत है, जिसकी जमीन अनुमति के बिना बिक्री अवैध है नियमानुसार नहीं है। अतएव इसी आधार पर अंचलाधिकारी, तमाड़ के द्वारा नामांतरण वाद अस्वीकृत की गयी है। उपसमाहर्त्ता, विधि शाखा, राँची के पत्रांक–217(ii) दिनांक–31/01/2012 के द्वारा प्राप्त माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के W.P.(PIL) No.-758/2011 सालखन मुर्मू बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक–25/01/2012 को पारित आदेश की प्रति जिसमें मुख्य न्यायाधीश प्रकाश टाटिया एवं न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह के द्वारा C.N.T. Act का सख्ती से अनुपालन करने का निदेश दिया गया है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं निर्देशों, विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा उनके द्वारा दाखिल किये गए दस्तावेजों के अवलोकनोपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहूँचती है कि उपरोक्त भूमि के हस्तांतरण में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–46 1 (b) का उल्लंघन हुआ है। अतः उपरोक्त अपील वाद को अस्वीकृत किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित। 21/10 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू(राँची)। 21/10 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू(राँची)।	